an>

Title: Need to delegate powers to Members of Parliament to select work execution agencies under MPLAD Scheme.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, सांसद निधि से कराये जाने वाले विकास कार्य के सम्बन्ध में सबसे बड़ी परेशानी का सामना यह करना पड़ रहा है कि सांसदों को कार्यदायी संस्था चुनने का स्पषÂट तौर पर अधिकार नहीं दिया गया है जिसके कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा आपसी कार्यदायी संस्था को कार्य आबंटित कर दिया जा रहा है जो विकास कार्य को ठीक से संचालित नही कर पाते जिसके कारण जनहित के विकास कार्य बाधित होते हैं। इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि सांसद क्षेत्र विकास योजना के तहत जिला अधिकारियों को निर्देश दिया जाये कि उपलब्ध कार्यदायी संस्था की अद्यतन सूची उपलब्ध करायें, साथ ही उन संस्थाओं के कार्य संबंधी अनुभव के बारे में विस्तृत जानकारी सांसदों के पास उपलब्ध रहे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस कार्य के लिए कौन-सी कार्यदायी संस्था सक्षम होगी और उसी के हिसाब से सांसदगण सांसद क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत विकास कार्य का अनुमोदन कर सकें।